कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 148/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 18.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 18.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति

थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ | दिनांक–17.04.2026

नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 09.04.2026 को वादी द्वारा थाना तरवां पर लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 07.04.2026 को उनकी नाबालिग पोती को अभियुक्त अर्जुन कुमार पुत्र संजय राम निवासी ग्राम कम्हरिया (कुर्थिया), थाना तरवां, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष द्वारा शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना तरवां पर मु0अ0सं0–67/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 17.04.2026 को उ0नि0 कान्ता प्रसाद पाल मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अर्जुन कुमार पुत्र संजय राम निवासी ग्राम कम्हरिया (कुर्थिया), थाना तरवां, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष को थाना क्षेत्र स्थित कबुतरा बस स्टैण्ड के पास बरगद के पेड़ के निकट से गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0–67/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

01. अर्जुन कुमार पुत्र संजय राम निवासी ग्राम कम्हरिया (कुर्थिया), थाना तरवां, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष।

पुलिस टीम:-

थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार, उ0नि0 कान्ता प्रसाद पाल, का0 प्रवीण यादव, म0का0 पूनम मौर्या, थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति

थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ | दिनांक–18.04.2026

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 10.04.2026 को वादिनी द्वारा थाना गम्भीरपुर पर लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त पवन चौहान पुत्र रम्पू चौहान निवासी ग्राम परशुरामपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा उनकी पुत्री को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध स्थापित किया गया तथा बाद में शादी से इंकार कर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0–92/2026 धारा 69 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 18.04.2026 को उ0नि0 संदीप दुबे व का0 गंगासागर कुशवाहा द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त पवन चौहान पुत्र रम्पू चौहान निवासी ग्राम परशुरामपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ को उसके घर से समय करीब 09:40 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

01. पवन चौहान पुत्र रम्पू चौहान निवासी ग्राम परशुरामपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0–92/2026 धारा 69 बीएनएस थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

पुलिस टीम:-

उ0नि0 संदीप दुबे, का0 गंगासागर कुशवाहा, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति

थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ | दिनांक–18.04.2026

कोल्डड्रिंक में जहर मिलाकर हत्या की घटना कारित करने के मामले में वांछित, 02 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

वादिनी प्रियका सिंह पुत्री स्व0 भोला सिंह सा0 महुवारी थाना तरवां जिला आजमगढ़ द्वारा थाना तरवां पर लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि दिनांक 16.04.2026 को पुरानी रंजिश समाप्त करने के बहाने अभियुक्ता 01. संध्या सिंह पत्नी स्व0 अनिरुद्ध सिंह, निवासी ग्राम महुवारी, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 60 वर्ष, 02. अर्चना सिंह पत्नी प्रवीण सिंह, निवासी ग्राम महुवारी, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष द्वारा उसके भाई को अपने घर बुलाकर कोल्डड्रिंक में जहर मिलाकर पिला दिया गया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। परिजन द्वारा उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दिनांक 17.04.2026 को उसकी मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तरवां पर मु0अ0सं0–71/2026 धारा 123/351(3) बीएनएस बनाम 02 नफर उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया, तत्पश्चात मृत्यु उपरांत धारा 103(1) बीएनएस की वृद्धि की गई।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 18.04.2026 को थानाध्यक्ष तरवां मय हमराही पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता 1. संध्या सिंह पत्नी स्व0 अनिरुद्ध सिंह एवं 2. अर्चना सिंह पत्नी प्रवीण सिंह निवासीगण ग्राम महुवारी, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ को उनके घर से प्रातः करीब 06:45 बजे महिला पुलिसकर्मियों की सहायता से गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0–71/2026 धारा 123/351(3)/103(1) बीएनएस थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण:-

01. संध्या सिंह पत्नी स्व0 अनिरुद्ध सिंह, निवासी ग्राम महुवारी, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 60 वर्ष।
02. अर्चना सिंह पत्नी प्रवीण सिंह, निवासी ग्राम महुवारी, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष।

पुलिस टीम:-

थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार, का0 रत्नेश कुमार सिंह, का0 महेश यादव, म0का0 पूनम मौर्या, म0का0 ज्योति सोनकर, थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति
थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ | दिनांक–18.04.2026

नाबालिग के साथ दुष्कर्म व अश्लील फोटो/वीडियो बनाकर वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

वादी द्वारा थाना रौनापार पर लिखित तहरीर दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री की अश्लील फोटो/वीडियो अभियुक्त संदीप पटेल पुत्र पारस पटेल निवासी उर्दिहा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष द्वारा बनाकर वायरल की जा रही है तथा मोबाइल नंबरों के माध्यम से परिजनों को भेजी गई है। विवेचना के दौरान साक्ष्यों एवं पीड़िता के बयान के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त द्वारा नाबालिग के निजी क्षणों की फोटो/वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया तथा वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। उक्त तथ्यों के आधार पर अभियोग में धारा 376(1) IPC व 3/4 पॉक्सो एक्ट तथा 67बी आईटी एक्ट की वृद्धि की गई।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 18.04.2026 को उ0नि0 सिद्धेश्वर सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त संदीप पटेल पुत्र पारस पटेल निवासी उर्दिहा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष को उसके घर से समय करीब 08:10 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0–38/2026 धारा 376(1) IPC, 3/4 पॉक्सो एक्ट व 67बी आईटी एक्ट थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

01. संदीप पटेल पुत्र पारस पटेल निवासी उर्दिहा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष।

पुलिस टीम:-

उ0नि0 सिद्धेश्वर सिंह, का0 अवधेश यादव, थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति
थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

साइबर ठगी के कुल 6500/- रुपये आवेदक के खाते में वापस कराया गया

घटना का विवरण:-

आवेदक द्वारा थाना सिधारी पर साइबर शिकायत दर्ज कराते हुए अवगत कराया गया कि उसके मित्र को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा 65 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल दिलाने का लालच देकर बारकोड के माध्यम से 6500/- रुपये की धनराशि ट्रांसफर करा ली गई। जानकारी होने पर तत्काल साइबर शिकायत दर्ज कराई गई। उक्त शिकायत पर थाना सिधारी की साइबर टीम द्वारा साइबर सेल आजमगढ़ से तकनीकी सहायता प्राप्त कर त्वरित कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते में 6500/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

साइबर जागरूकता संदेश:-

आमजन को जागरूक किया गया कि किसी भी अज्ञात कॉल/संदेश पर विश्वास न करें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी अथवा ओटीपी किसी के साथ साझा न करें। किसी भी प्रकार का भुगतान जल्दबाजी में न करें तथा सोच-समझकर ही

लेन-देन करें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें अथवा नजदीकी थाना/साइबर हेल्प डेस्क से संपर्क करें।

पुलिस टीम:-

उ0नि0 विधनेश वर्मा, का0 महेश कुमार, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ | दिनांक–18.04.2026

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बकरी चोरी की घटना का सफल अनावरण, त्वरित पुलिस कार्रवाई में 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

वादी साहबे आलम पुत्र नेयाज अहमद मु0 गुलामी का पुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 14.04.2026 को दोपहर के समय उसके घर के पास घूम रहे दो अज्ञात युवकों द्वारा उसके द्वारा पाले गए बकरे को चोरी कर लिया गया। वादी के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों संदिग्ध युवक जाते हुए दिखाई दिए, जो वापस नहीं लौटे। उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0–171/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात 02 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया, जिसमें विवेचना के दौरान धारा 317(2) बीएनएस एवं 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 18.04.2026 को उ0नि0 कुलदीप कुमार व उ0नि0 महेन्द्र कुमार मय हमराही पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों 01. मो0 शादान पुत्र मो0 फिरोज, निवासी गुलामी का पुरा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 18 वर्ष, 02. मो0 उमर पुत्र सोहेल, निवासी गुलामी का पुरा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष को बम-बम बाबा कुटिया के रास्ते के पास से समय करीब 04:35 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

01. मो0 शादान पुत्र मो0 फिरोज, निवासी गुलामी का पुरा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 18 वर्ष।
02. मो0 उमर पुत्र सोहेल, निवासी गुलामी का पुरा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0–171/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

पुलिस टीम:-

उ0नि0 कुलदीप कुमार, उ0नि0 महेन्द्र कुमार, का0 अखिलेश यादव, का0 अभिषेक कुमार सरोज, का0 राजन कुमार, पीआरडी शिवचरन यादव, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।